<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>आपराधिक रिट याचिका संख्या 1721 / 2022</u>

किशन चंद .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य। .....प्रतिवादी

वर्तमान:
श्री तपन सिंह, याचिकाकर्ता के वकील
श्री जे.एस. विर्क, विद्वान उप. राज्य के महाधिवक्ता.

फैसला सुरक्षित: 16.11.2022
फैसला सुनाया गया: 30.11.2022

<u>श्री संजय कुमार मिश्रा, जे.</u>

इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 466 और 467 के तहत एफआईआर संख्या 06/2022 के रूप में दर्ज एफआईआर दिनांक 08.08.2022 को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति में रिट जारी करने की प्रार्थना की है। (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए दंड संहिता के रूप में जाना जाता है), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 3ए और 3बी, भारतीय वन अधिनियम, 1972 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ए) के तहत (इसके बाद इसे कहा गया है) (संक्षिप्तता हेतु पी.सी. अधिनियम) सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर, हलद्वानी, जिला नैनीताल द्वारा पंजीकृत । उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए भी प्रार्थना की है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं करने और कोई भी राहत देने के लिए जैसा कि न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे।

2. मामला 09.09.2022 को सूचीबद्ध किया गया था। उस दिन न्यायालय ने विद्वान उप निदेशक को निर्देश दिया। महाधिवक्ता को जांच एजेंसी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री के संबंध में निर्देश लेने और अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश करने को कहा गया है। दिनांक 16.09.2022 को विद्वान उप. महाधिवक्ता ने आई.ओ. से प्राप्त लिखित निर्देश 15.09.2022 को प्रस्तुत किये। विद्वान उप. महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि 08.08.2022 को सरकार द्वारा एक खुली जांच के आधार पर और जांच के दौरान संहिता की धारा 161 और 164

के तहत दर्ज किए गए बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपराधिक प्रक्रिया, 1973 (बाद में संक्षिप्तता के लिए संहिता के रूप में संदर्भित) से पता चला कि याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, और वह अवैध निर्माण कार्य में शामिल था। कैंपा, पाखरो रेंज और तिलवाढांग (कोटद्वार), कुगड्डा, सनेह की निधि से मोरघट्टी रेंज में वन संरक्षण और भारतीय वन अधिनियम, 1972 का उल्लंघन करते हुए जाली, पिछली तारीख के बिलों के आधार पर भुगतान किया गया, जिसके कारण राज्य राजकोष.को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह हमारे संज्ञान में लाया गया था कि डाक प्रेषक प्रमोद कश्यप ने जांच अधिकारी के समक्ष कहा था कि याचिकाकर्ता ने तकनीकी लेखा परीक्षा समिति की वित्तीय स्वीकृति लेने के संबंध में एफ-7 रजिस्टर (डिस्पैच रजिस्टर) में बैक डेट प्रविष्टि करने के लिए उन पर दबाव डाला था। सरकार से कार्य आदेश और जाली बिल और दस्तावेज तैयार किए गए, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।

3. यह भी देखा गया है कि एक अन्य मामला एफआईआर संख्या 04/2019 की, पी.सी. की धारा 14(1) ई 13(1)बी के तहत है। दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पढ़ा जाने वाला अधिनियम भी शुरू किया गया है। हमारे ध्यान में यह भी लाया गया है कि जांच से, वर्तमान में याचिकाकर्ता के खिलाफ दंड संहिता की धारा 409, 420, 466, 477, 468, 471, 120बी, 34 और धारा 13 (1)(ए) और 13(2) पीसी ऐक्ट के तहत विश्वसनीय सबूत हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ एक्ट अच्छा बना है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री तपन सिंह का कहना है कि जब तक एफआईआर में यह आरोप नहीं है कि प्रतिवादी और अन्य आरोपी व्यक्तियों का नियोक्ता को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या कोई गलत नुकसान पहुंचाने का इरादा था, तब तक उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है। दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पठित 409 और 420 का अपराध किया जाएगा। हालाँकि, इस मामले में, याचिकाकर्ता जो टाइगर कॉर्बेट रिजर्व के प्रभारी, वरिष्ठ वन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने बड़ी संख्या में अनियमितताएँ की हैं। यहां तक कि रिकॉर्ड से भी इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि उसने दस्तावेज़ों में जालसाजी की, जिसके लिए बचाव पक्ष की ओर से कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। यह सच है कि जांच के दौरान जो भी आरोप सामने आ रहे हैं, वे एफआईआर में पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, हालांकि, इस न्यायालय का मानना है कि चूंकि एफआईआर सभी तथ्यों का विश्वकोश नहीं है, एक बार, संज्ञेय मामला एफआईआर में दिखाया गया है, जांच एजेंसी को इसकी जांच करने और जो भी सबूत/सामग्री उपलब्ध है उसे इकट्ठा करने का अधिकार है।इसके अलावा, एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही केवल असाधारण और दुर्लभ मामलों में ही रद्द की जाती है, इसे नियमित

तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता है, खासकर जब उच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर कुछ वित्तीय अनियमितताएं की हों, जाली दस्तावेज बनाए हों, वन कानूनों का उल्लंघन किया हो, कथित तौर पर लाभ उठाया हो। एक वरिष्ठ वन अधिकारी के रूप में उनकी स्थिति के कारण जांच एजेंसी को जांच जारी रखने और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5. हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम के मामले में भजन लाल और अन्य, एआईआर 1992 एससी 604, जिसमें अनुच्छेद 108 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों को निर्धारित किया है। एफआईआर, आरोप पत्र या संज्ञान को रद्द करने के लिए संविधान या संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां। सिद्धांत इस प्रकार हैं:-

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच संहिता की धारा 155(2) के दायरे में उचित ठहराया जा सकता है ।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत माना गया है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और संभावित हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है मे किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है संहिता या संबंधित अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत का प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

6. यह मामला उपरोक्त विचार के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा, अगले पैराग्राफ में, सिद्धांतों को रखने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि

एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही पर भी लागू होती है। दुर्लभ और असाधारण मामलों में. इस न्यायालय की राय है कि एफआईआर को रद्द करने की हद तक यह कोई दुर्लभ मामला नहीं है।

7. अत: रिट याचिका गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अंतरिम आदेश दिनांक 21.09.2022 निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मिश्रा, जे.)
(नियमानुसार प्रमाणित प्रति प्रदान करें)

पीवी